न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 41/2018
जीसीएमएस न0 2018/00070

1. श्री कैलाशचन्द्र पिता नारायण तेली निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज०

.... प्रार्थी

बनाम

1. श्री महावीर सिंह पिता श्री योगेन्द्रसिंह राजपूत निवासी बिनोता हाल मुकाम उदयपुर राज०
2. श्री शिवकुंवर पुत्री श्री योगेन्द्रसिंह राजपूत निवासी बिनोता हाल मुकाम उदयपुर राज०
3. श्री हेमन्त कुंवर पत्नि स्व० श्री योगेन्द्रसिंह राजपूत निवासी बिनोता हाल मुकाम उदयपुर राज०
4. श्री रामनारायण पिता श्री प्यारचन्द धाकड़ निवासी भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा राज०
5. श्री रामेश्वरलाल पिता श्री रतनलाल धाकड़ निवासी भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज०
6. श्री मांगीलाल पिता श्री प्रेमचन्द धाकड निवासी भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा राज०
7. श्री सुरेश पिता श्री प्रभुलाल धाकड़ निवासी भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा राज०
8. श्री ऊंकारलाल पिता फुलचन्द धाकड़ निवासी भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा राज०
9. श्रीमति सुगन कुंवर पिता बहादुर सिंह राजपूत निवासी कानपुरा (शिवगढ) तहसील निम्बाहेड़ा राज०
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज०

.....विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार तहसीलदार – अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 29-12-23

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का [illegible] निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात [illegible] बिनोता पटवार हल्का बिनोता तहसील निम्बाहेडा में खाता [illegible] 100 की [illegible] नम्बर 1288 रकबा 0.0100 हे0 ट्युबवेल व आराजी नम्बर 1289 [illegible] कुल किता 2 [illegible] रकबा 1.1400 हे0 स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 16:46:41 IST
Reason: SelfAttested

2. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजीयात जिसके पुराने आराजी नम्बर 830 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा में से प्रार्थी ने उक्त भूमि में से 4 बीघा 10 बिस्वा भुमि विपक्षी क्रमांक 1 से 3 के पिता व पति योगेन्द्र सिंह पिता मदन सिंह जी से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है

तथा दिगर विपक्षीगण 4 से 9 द्वारा भी मुल खातेदार से ही क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। जो पुराने राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही थी, प्रार्थी की खरीदशुदा आराजीयात के नये आराजी नम्बर 1288 व 1289 है। जिसके पुराने नक्शा ट्रेस में तरमीम नही था तथा प्रार्थी का अपनी उक्त खरीदशुदा भूमि पर शान्तिपुर्ण तरीके से कब्जा चला आ रही है जिसका पुराना नक्शा ट्रेस में तरमीम नही था, परन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारीयो की गलती की वजह से गलत रुप से तरमीम कर दिया गया है।

3. प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी मौके पर उत्तर दक्षिण लम्बाई में शिवगढ जाने वाले रास्ते तक लगी हुई है और प्रार्थी वही पर काबिज चला आ रहा है परन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में लम्बाई व चौडाई को कम कर दिया है और गलत रुप से तरमीम कर दिया है। नवीन नक्शा ट्रेस में प्रार्थी का मौके पर काबिज अनुसार तरमीम नही किया है, गलत रुप से तरमीम कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का मौके पर वक्त खरीद से शान्तिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है। इसलिए नवीन राजस्व नक्शा ड्रेस में मौके पर काबिज अनुसार तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी संख्या 1 से 3 तथा 5 से 9 बावजुद सूचना के अनुपस्थित हुए, उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही कि गई। विपक्षी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में अपना जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि मौजा बिनोता पटवार हल्का बिनोता में आराजी नं. 1288 रकबा 0.01 है0, आराजी नं. 1289 रकबा 1.13 है0 कुल किता 2 रकबा 1.14 है0 प्रार्थी खातेदार श्री कैलाशचन्द्र पिता नारायण तेली सा. देह के नाम पर दर्ज है। उपरोक्तानुसार हाल आराजी नं. 1288 रकबा 0.01 है०, आराजी नं. 1289 रकबा 1.14 है0 का साबिक आराजी नं. 830 मी. रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा मुताबिक संलग्न मिलान क्षेत्रफल दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल में हाल व साबिक आराजी नं. के रकबा में किसी प्रकार की भिन्नता नही है।सेटलमेंट पूर्व राजस्व मानचित्र में कोई तरमीम नही थी एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड, मानचित्र में सम्बन्धित आराजी नं. 1288 रकबा 0.01 है0, आराजी नं. 1289 का रकबा पूर्ण (1.15 है0) है, कोई कमी–पेशी प्रतीत नही होती।

5. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2024.01.06 18:46:41 IST
Reason: SelfAttested

136. Correction of errors. - The land record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or such a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेज के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि मौजा बिनोता पटवार हल्का बिनोता में आराजी नं. 1288 रकबा 0.01 है0, आराजी नं. 1289 रकबा 1.13 है0 कुल किता 2 रकबा 1.14 है0 का साबिक आराजी नं. 830 मी. रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि में तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं दस्तावेजो का मिलान किया गया । मिलान क्षेत्रफल में हाल व साबिक आराजी नं. के रकबा में किसी प्रकार की भिन्नता नही है। सेटलमेंट पूर्व राजस्व मानचित्र में कोई तरमीम नही थी एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड, मानचित्र में सम्बन्धित आराजी नं. 1288 रकबा 0.01 है0, आराजी नं. 1289 का रकबा पूर्ण (1.15 है0) है जिसमे कोई कमी–पेशी एवं लिपिकीय त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र न्यायालय में साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29-12-2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

29/12/23

(रमेश सीरवी पुनाडियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:46:41 IST
Reason: SelfAttested